

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य के सरकारी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में बी०एड० कोर्स के नामांकन हेतु संकल्प संख्या-11/व 2-01/2002-1068 दिनांक-04.07.2008, संशोधित संकल्प संख्या-20/प्र०07-44/2012-408 दिनांक-04.10.12, संशोधित संकल्प संख्या-20/वि०1-14/12-407 दिनांक-24.07.2013, संशोधित संकल्प संख्या-20/प्र०07-44/2012 -68 दिनांक-21.04.2014 /12/प्रशिक्षण-89/2007-416 दिनांक-26.06.2015 एवं 12/प्रशि-01/2016-232 दिनांक-16.06.2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन।

राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को सत्र 2018-20 में बी०एड० कोर्स (दो वर्षीय) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्ययोजना पर सहमति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया है कि मात्र एक सत्र (2018-20) में राज्य के सरकारी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों/विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में मई-जून 2018 माह में पूर्व से संचालित बी०एड० कोर्स में उनका नामांकन कराते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

इस हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा क्रमशः दिनांक-12.05.2017 एवं 13.05.2017 को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के आधार पर उक्त कोटि के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों से ऑनलाईन सूचना की माँग की गई। उक्त सूचना के आधार पर राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अप्रशिक्षित शिक्षकों में से 1467 (एक हजार चार सौ सड़सठ) शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन सूचनाएँ समर्पित की हैं। उक्त आधार पर सभी 1467 (एक हजार चार सौ सड़सठ) अप्रशिक्षित शिक्षकों को निम्नवत् रूप से सत्र 2018-20 (मात्र एक सत्र) में पूर्व से निर्धारित नामांकन-प्रक्रिया को स्थगित रखते हुए नामांकन कराया जायेगा।

क्र०	सत्र 2018-20 में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का मोड (Regular/ODL)	प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रशिक्षु की संख्या
1	राज्य के छः अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTE)	Regular mode	600
2	नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना	ODL mode	205
3	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	ODL mode	204
4	एल०एन०मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	ODL mode	204
5	बी०आर०अम्बेदकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	ODL mode	204
6	राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग (आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त)	Regular mode	50
		कुल	1467





2. यह प्रशिक्षण सिर्फ उन्हीं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए किया जायेगा, जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन किया है।

3. अप्रशिक्षित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को उपरोक्त संस्थानों का आवंटन शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय स्तर से किया जायेगा।

4. सर्वप्रथम योगदान की तिथि के आधार पर वरीयतम शिक्षक को अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में सवैतनिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नामांकन की अनुशंसा की जायेगी। किन्हीं दो अभ्यर्थियों की समान योगदान की तिथि होने की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। रेगुलर मोड में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रशिक्षु द्वारा किया जायेगा।

5. तदनुपरान्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दर्शाये गये पदस्थापन स्थल की निकटता के आधार पर उन्हें विश्वविद्यालय में ODL मोड में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थान आवंटित किये जायेंगे। ODL मोड में विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु निर्धारित नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रशिक्षु द्वारा किया जायेगा। इस कोटि के प्रशिक्षु विद्यालय में कार्यरत रहने के साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

6. राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना में सिर्फ महिला प्रशिक्षुओं का ही नामांकन कराया जायेगा एवं उन्हें रेगुलर मोड में सवैतनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। रेगुलर मोड में महाविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु पूर्व से निर्धारित नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रशिक्षु द्वारा किया जायेगा।

7. इस प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 1467 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अप्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के अतिरिक्त किसी नये अभ्यर्थी का नामांकन नहीं कराया जायेगा।

इस परिपेक्ष्य में संकल्प संख्या-11/व2-01/2002-1068 दिनांक-04.07.2008 संशोधित संकल्प संख्या-20/प्र007-44/2012-408 दिनांक-04.10.12 संशोधित संकल्प संख्या-20/वि01-14/12-407 दिनांक-24.07.2013 एवं संशोधित संकल्प संख्या-20/प्र007-44/2012-68 दिनांक-21.04.2014/12/प्रशिक्षण-89/2007-416 दिनांक-26.06.2015 एवं 12/प्रशि-01/2016-232 दिनांक-16.06.2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका को यथा-संशोधित समझा जाय।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—  
(अरशद फिरोज)  
उप सचिव।

ज्ञापांक-12/विविध-10/2015 .....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—  
उप सचिव।

ज्ञापांक-12/विविध-10/2015.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- कुलसचिव, भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा /मगध विश्वविद्यालय, गया/मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना/आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आपसे अनुरोध है कि बी०एड० कोर्स की नामांकन नियमावली में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मात्र एक सत्र (2018-20) हेतु तदनुसार संशोधन करने का कष्ट करें। साथ ही शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय से निर्धारित संख्या में प्राप्त प्रशिक्षुओं की सूची के अनुरूप उक्त सत्र में B.Ed (ODL) कोर्स में नामांकन करने की कृपा की जाए।

ह०/-  
उप सचिव।

ज्ञापांक-12/विविध-10/2015.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, बिहार/राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
उप सचिव।

ज्ञापांक-12/विविध-10/2015.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, 15नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751012 (उड़ीसा) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-  
उप सचिव।

ज्ञापांक- 12/विविध-10/2015 .....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


ह०/-  
उप सचिव।

ज्ञापांक-12/विविध-10/2015.....12.0

पटना, दिनांक.....22/03/2018

प्रतिलिपि-आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभीगीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
उप सचिव।

A handwritten signature in black ink, followed by the date '22/03/18' and the text 'उप सचिव।' (Deputy Secretary).